पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में,

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या 7813/2019

==========

1. मो. नूर आलम, पुत्र मोहम्मद खलीलुर रहमान, निवासी गाँव-धामसैन, थाना -बहेरा, जिला-दरभंगा

2. रानी प्रवीण उर्फ़ रानी परवीन पुत्री मोहम्मद नजीर और पत्नी मोहम्मद परवेज, निवासी वार्ड No.-02 ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक लक्ष्मी मंदिर के पास, एम. आई. टी. मुज़फ़्फ़रपुर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा बिहार सरकार के मुख्य सचिव, पटना

2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना

3. जिला अधिकारी, मुज़फ़्फ़रपुर

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर 5.जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर

6. खंड विकास अधिकारी, अंचल -मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

7. खंड शिक्षा और विस्तार अधिकारी, खंड-मुरौल, जिला-मुजफ्फरपुर

8. राज्य अपीलीय प्राधिकरण (शिक्षा विभाग, बिहार) पटना द्वारा अपने सदस्य के माध्यम से

9. जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा अपने सदस्य 10.मुखिया ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर श्रीराम, अंचल -मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

11. पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज बिष्णुपुर श्रीराम, अंचल-मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

12. महबूब आलम हमीदी पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गाँव-मझौलिया चंदनपट्टी, थाना और अंचल-सकरा, ज़िला-मुज़फ़्फ़रपुर

.....उत्तरदाता/उतरदातागण

==========

विचारणीय मुद्दाः यदि नियुक्ति में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है और यदि अपीलीय न्यायाधिकरण और राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को सही ढंग से खारिज कर दिया है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी का आधार वैध था।

बिहार राज्य शिक्षक और कर्मचारी विवाद निवारण नियम**, 2013** के नियम **14** का उप नियम **(ii)-**पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था**-**सभी आठ पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति**-**चार सीटें अनारक्षित थीं और चार उर्दू शिक्षकों के लिए आरक्षित थीं**-**परामर्श आयोजित किया गया था और योग्यता सूची तैयार की गई थी**-**नियुक्ति रद्द कर दी गई थी**-**आगे कानून के अनुसार पंचायत शिक्षक के रूप में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी**-**राज्य अपीलीय प्राधिकरण **(**शिक्षा विभाग**,** बिहार**)** पटना**-**जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुजफ्फरपुर**-**प्राधिकरण ने पंचायत द्वारा तैयार की गई सूची को रद्द कर दिया और काउन्सिलिंग में उपस्थित उम्मीदवारों की एक नई योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दिया। **-** नियुक्ति में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है और यदि अपीलीय

न्यायाधिकरण और राज्य यदि अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

अभिनिर्धारित किया गयाःयह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता के दावे को विभिन्न मंचों पर सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद खारिज कर दिया गया था।नियुक्ति में आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और अपीलीय न्यायाधिकरण और राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

काउन्सिलिंग दिनांक **28.02.2009-** दिनांक **02.05.2009** की सूची रद्द कर दी। जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर ने जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पंचायत रोजगार इकाई को खाली पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करने के अपने आदेश का पालन करने के लिए दिए गए निर्देश दिया गया। आठ पद खाली थे जिन पर ग्राम पंचायत में सभी आठ पदों पर नियुक्ति की जा सकती है-पंचायत रोजगार इकाई ने जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर के दिनांकित **12.01.2016** के आदेश के अनुसार एक सूची तैयार की-नियुक्ति की गई-परिणामस्वरूप जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर में उत्तरदाताओं में से एक के आवेदन पर सभी आठ पदों पर की गई नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया गया। क्या याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी का आधार वैध था।

अभिनिर्धारितः जहां तक विलंब के संबंध में याचिकाकर्ता की याचिका का संबंध है, आधार वैध नहीं है क्योंकि अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश के माध्यम से पहले ही पंचायत रोजगार समिति को उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दे दिया है, आगे यह घटना के क्रम से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और अन्य प्रभावित उम्मीदवारों ने समय-समय पर समुचित मंच से पहले संपर्क किया और एक मंच के आदेश को दूसरे के सामने चुनौती दी, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए देरी का आधार एक वैध आधार नहीं है। [पैरा 10]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में,

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या 7813/2019

==========

1. मो. नूर आलम, पुत्र मोहम्मद खलीलुर रहमान, निवासी गाँव-धामसैन, थाना -बहेरा, जिला-दरभंगा

2. रानी प्रवीण उर्फ़ रानी परवीन पुत्री मोहम्मद नजीर और पत्नी मोहम्मद परवेज, निवासी वार्ड No.-02 ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक लक्ष्मी मंदिर के पास, एम. आई. टी. मुज़फ़्फ़रपुर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा बिहार सरकार के मुख्य सचिव, पटना

2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना

3. जिला अधिकारी, मुज़फ़्फ़रपुर

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर 5.जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर

6. खंड विकास अधिकारी, अंचल -मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

7. खंड शिक्षा और विस्तार अधिकारी, खंड-मुरौल, जिला-मुजफ्फरपुर

8. राज्य अपीलीय प्राधिकरण (शिक्षा विभाग, बिहार) पटना द्वारा अपने सदस्य के माध्यम से

9. जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा अपने सदस्य 10.मुखिया ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर श्रीराम, अंचल -मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

11. पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज बिष्णुपुर श्रीराम, अंचल-मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

12. महबूब आलम हमीदी पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गाँव-मझौलिया चंदनपट्टी, थाना और अंचल-सकरा, ज़िला-मुज़फ़्फ़रपुर

.....उत्तरदाता/उतरदातागण

==========

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : सुश्री शिल्पी केशरी,अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदनजीत कुमार, जीपी-20

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण

कैव जजमेंट

तारीख : 21-02-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना।

क. 15-01-2019 (राज्य अपीलीय प्राधिकरण (शिक्षा विभाग, बिहार) पटना द्वारा अपील संख्या-657/2008 में पारित अनुलग्नक-10) जिसमें जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा आपत्ति मामला संख्या-12/2016 में पारित दिनांकित 15-07-2017 के आदेश के खिलाफ

याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है के आदेश को ख़ारिज/रद्द करने हेतु एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए।

ख़. जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा आपत्ति मामला संख्या-12/2016 में पारित दिनांक 15-07-2017 (अनुलग्नक-8) के आदेश को ख़ारिज/रद्द करने के लिए एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, जिसके तहत वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित सभी आठ पंचायत शिक्षकों (4 सामान्य और 4 उर्दू शिक्षकों) की पंचायत शिक्षकों के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गई है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी उम्मीदवारों को पंजीकृत पद के माध्यम से सूचित करके नई नियुक्ति करें जो दिनांक 28-02-2009 की परामर्श में उपस्थित थे और उसके बाद कानून के अनुसार पंचायत शिक्षक के रूप में उम्मीदवारों की नियुक्ति करें।

ग. एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे अपने-अपने विद्यालयों में पंचायत शिक्षकों के रूप में याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण कामकाज में हस्तक्षेप न करें और यदि उन्हें वर्तमान रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान हटा दिया जाता है तो राज्य के अधिकारियों को उन्हें सभी परिणामी मौद्रिक लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया जा सकता है।

घ. एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए जो उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं के वेतन, वर्तमान के साथ-साथ बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करने का निर्देश देता है।

ड़. किसी अन्य राहत या राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता इस माननीय उच्च न्यायालय की राय में हकदार है।

2. याचिकाकर्ता का मामला है कि वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर श्रीराम, अंचल-मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर में पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति/रोजगार के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। रोस्टर के अनुसार, आठ सीटों में से चार अनारक्षित थीं और चार उर्दू शिक्षक के लिए आरक्षित थीं। याचिकाकर्ता, के उर्दू सीटों के लिए आवेदक होने के नाते, उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया गया, परामर्श आयोजित किया गया और वर्ष 2009 में योग्यता सूची तैयार की गई। एक सुश्री आरती चौधरी ने उक्त योग्यता सूची को जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर के समक्ष चुनौती दी, जिसमें मामला संख्या 1623/2009 है। पक्षकारों को सुनने के बाद, जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण ने अपनी आदेश तिथि 02.05.2009 द्वारा उपरोक्त मामले का निपटारा किया और पंचायत द्वारा तैयार की गई सूची को रद्द कर दिया और परामर्श में उपस्थित उम्मीदवारों की एक नई योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश भी जारी किया गया।

3. याचिकाकर्ताओं का यह और मामला है कि एक व्यक्ति नरेंद्र ठाकुर ने भी वर्ष 2012 में जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुज़फ़्फ़रपुर के समक्ष, एक मामला दायर किया था, जिसका मामला सं. 36/2012 है जिसमें पक्षकारों को सुनने के बाद ज्ञात हुआ कि जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुज़फ़्फ़रपुर ने दिनांक 27.02.2013 के आदेश द्वारा उसी का निपटारा करते हुए कहा कि एक नई योग्यता सूची तैयार करने और चयन और रोजगार के लिए जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुज़फ़्फ़रपुर पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया था और आगे इसे पंचायत रोजगार इकाई, बिशुनपुर श्रीराम को रिक्त पदों के खिलाफ रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुज़फ़्फ़रपुर ने भी उक्त नरेंद्र ठाकुर के मामले को समय बाधित पाया।

4. दिनांक 27.02.2013 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, उक्त नरेंद्र ठाकुर ने इस न्यायालय के समक्ष 2013 का C.W.J.C. संख्या 10163 वाला एक रिट आवेदन दायर किया, जिसमें पक्षों को सुनने के बाद, दिनांक 25.09.2014 के आदेश के अनुसार, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी विवाद निवारण नियम, 2013 के नियम 14 के उप-नियम (ii) के संदर्भ में जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर के समक्ष एक आवेदन दायर करने के निर्देश के साथ रिट आवेदन का निपटारा किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, उक्त नरेंद्र ठाकुर ने जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुज़फ़्फ़रपुर के समक्ष 2014 का मामला संख्या 54 वाला एक नया मामला दायर किया, जिसमें सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि 8 विवादित पद अभी भी खाली हैं जिनके खिलाफ रोजगार दिया जा सकता है। उक्त मामले का निपटारा दिनांक 12.01.2016 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसके तहत 4,000 रुपये का जुर्माना संबंधित प्राधिकारी पर लगाया गया था।

5. याचिकाकर्ताओं का यह और मामला है कि दिनांक 12.01.2016 के आदेश के बाद, पंचायत रोजगार समिति बिशुनपुर, श्रीराम ने पंचायत शिक्षकों के आठ पदों की एक योग्यता सूची तैयार की और आपत्ति आमंत्रित करने के बाद, उक्त सूची को अंतिम घोषित कर दिया गया जिसमें याचिकाकर्ताओं का चयन उर्दू श्रेणी के तहत किया गया था और ज्ञापन संख्या 05 दिनांक 22.02.2016 और ज्ञापन संख्या 09 दिनांक 22.02.2016 के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे और वे अपने-अपने विद्यालयों में शामिल हुए और उसके बाद से सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि के लिए काम कर रहे थे।

6. याचिकाकर्ताओं का यह आगे का मामला है कि एक महबूब आलम हमीदी (प्रतिवादी संख्या 12), पहली बार, जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, मुज़फ़्फ़रपुर के समक्ष दिनांक 28.03.2016 पर एक आवेदन दिया गया, जिसमें की गई अनियमितता के बारे में उनकी

शिकायत उठाई गई और मामला संख्या 12/2016 को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्थापित और परीक्षण किया गया।2016 के आपत्ति मामला संख्या 12 में पारित दिनांक 15.07.2017 के आदेश के माध्यम से, सभी पक्षों को सुनने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने ग्राम पंचायत राज बिष्णुपुर श्रीराम में सभी आठ पदों पर की गई नियुक्तियों को अमान्य करार दिया गया और इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया।

7. याचिकाकर्ताओं का यह आगे का मामला है कि दिनांक 15.07.2017 के उक्त आदेश के खिलाफ, पांच चयनित उम्मीदवारों ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण (शिक्षा विभाग, बिहार), पटना के समक्ष अपील दायर की, जिसमें अपील संख्या 164/2017 थी, जिसमें पक्षों को सुनने के बाद राज्य अपीलीय प्राधिकरण (शिक्षा विभाग, बिहार), पटना के विद्वान अध्यक्ष ने अपने दिनांक 27.06.2018 के आदेश द्वारा अपील का निपटारा किया यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रतिवादी संख्या -12 सही हैं लेकिन सामान्य पदों से संबंधित आदेश को ख़ारिज कर दिया और आगे ग्राम पंचायत राज बिष्णुपुर श्रीराम, ब्लॉक-मुरौल, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर को निर्देश दिया गया कि वे 28.02.2009 को आयोजित परामर्श में उपस्थित उम्मीदवारों के आधार पर उर्दू पदों पर नियुक्ति के लिए आगे बढ़ें। वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने भी राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 2018 का अपील सं.657, दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी।जिसका भी निपटारा 2017 की अपील संख्या 164 में पारित दिनांकित 27.06.2018 आदेश के संदर्भ में किया गया था।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बहस करते हुए इस तथ्य पर जोर दिया कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहे कि प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा दायर आवेदन समय वर्जित था क्योंकि यह कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जो अभिलेख पर है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य शिक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी और अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया है और इस रिट आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

10. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के दावे को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद खारिज कर दिया गया था।जहाँ तक विलंब के संबंध में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई याचिका का संबंध है, मेरी सुविचारित राय में, यह आधार वैध नहीं है क्योंकि अपीलीय न्यायाधिकरण ने आरती चौधरी के मामले में पारित अपने आदेश दिनांक 02.05.2009 के अनुसार पहले ही पंचायत रोजगार समिति को उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, जो 28.02.2009 को आयोजित परामर्श में उपस्थित थे। इसके बाद, नरेंद्र ठाकुर नामक व्यक्ति ने न्यायालय में दिनांकित 02.05.2009 आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक निर्देश देने के लिए इस न्यायालय में और उसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण में रिट दायर किया ।घटनाओं के क्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रभावित उम्मीदवारों ने समय-समय पर उपयुक्त मंच से संपर्क किया और एक मंच के आदेश को दूसरे मंच के समक्ष चुनौती दी।इसलिए, मेरे सुविचारित विचार में, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई देरी का आधार एक वैध आधार नहीं है।

11. पूर्वगामी पैराग्राफ में वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका विचार के योग्य नहीं है और तदनुसार खारिज की जाती है।

(अंजनी कुमार शरण, न्यायमूर्ति)

त्रिवेदी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।